



व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र)
BOARD OF PRACTICAL TRAINING (EASTERN REGION)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन
UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA, DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION



बीओपीटी/डीटी/2025-26/

28.01.2026

सूचना

सेवा में,

एनएटीएस के अंतर्गत पंजीकृत सभी स्थापनाएँ

विषय: प्रतिपूर्ति दावा बिल जमा करने के लिए पूर्व अधिसूचनाएं, नियत तिथि 31.10.2025।

महोदय/महोदया,

BOPT (ER) की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!

उपरोक्त विषय पर पूर्व में जारी किए गए नोटिस का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें समय-समय पर संशोधित शिक्षता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सभी स्थापनाओं को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना का संचालन करने वाले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 01.11.2025 से शिक्षुओं को मासिक सरकारी वजीफे के भुगतान के लिए डीबीटी (डेटाबेस) पद्धति अपनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में समय-समय पर सभी स्थापनाओं के साथ जानकारी साझा की गई है। इस सूचना के बाद, उन संबंधित स्थापनाओं को कई अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिनके प्रतिपूर्ति दावों के बिल 31.10.2025 तक देय हैं।

इस संबंध में, अंतिम अवसर के रूप में, सभी स्थापनाओं को सूचित किया जाता है कि वे 31.10.2025 तक देय प्रतिपूर्ति मोड के तहत शिक्षुओं को भुगतान किए गए वजीफे के लिए पोर्टल से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावा बिल, विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद करके, बीओपीटी (ईआर), कोलकाता के कार्यालय में 28.02.2026 को या उससे पहले जमा करें। यह विस्तारित अवधि इसलिए दी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 28.02.2026 तक प्राप्त दावों के बिलों पर ही प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिसके बाद कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और 28.02.2026 के बाद जमा किए गए ऐसे किसी भी दावे के बिल पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि संस्थानों को किसी भी प्रकार की तकनीकी (पोर्टल) समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें समस्या दर्शाने वाले पोर्टल इंटरफेस की तस्वीर बीओपीटी (ईआर) के श्री सुशोवन मंडल या श्री हिमाद्री जाना के साथ साझा करनी होगी।

यह सूचना संबंधित स्थापनाओं के हित में जारी की गई है और 28.02.2026 की नियत तिथि से पहले उचित कार्रवाई अपेक्षित है। दिनांक 28.02.2026 के बाद बीओपीटी (ईआर) किसी भी ऐसे दावे, बिल या प्रतिपूर्ति के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।


निदेशक

